



# किराया बकाया सहायता

अगर आपका घर छिनने वाला है क्योंकि आप अपने बकाया किराए का भुगतान नहीं कर सकते, तो आप किराया बकाया सहायता पाने के लिए पात्र हो सकते हैं।

- इस सहायता हेतु पात्रता के लिए, आपका कोई लाभार्थी होना आवश्यक नहीं है।
- यह आपकी आय और संपत्तियों पर निर्भर है।
- यह एकमुश्त भुगतान है।
- आपको धनराशि वापस चुकता नहीं करनी होगी।

## किराया बकाया सहायता कौन पा सकता है?

आप किराया बकाया सहायता पा सकते हैं, अगर आप:

- पर किराया बकाया है, जो आपको चुकता करना है
- घर से निकाले जा सकते हैं, क्योंकि आपने अपना किराया चुकता नहीं किया
- आप बकाया किराया चुकता करने के बाद घर में रह पाएंगे।

उदाहरण के लिए:

- आपकी किराएदारी समाप्त होने वाली नहीं है
- आप किराया चुकता करते रहने में सक्षम हैं
- किराएदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं (या आप पारिवारिक हिंसा अधिनियम आदेश के अनुसार किराएदार हैं)।

आपसे निम्न भी अपेक्षित होगा:

- 16 या अधिक आयु के
- न्यूज़ीलैंड में रहते हैं और यहीं रहने का इरादा हो
- निम्न में से एक:
  - न्यूज़ीलैंड के नागरिक हों, या

- न्यूज़ीलैंड में दो वर्ष से अधिक समय से रहने वाले स्थायी निवासी हों, या
- कोई मुख्य लाभ, जैसे कि नौकरी के इच्छुक हेतु सहायता पा रहे हों

यह आपकी आय और संपत्तियों पर भी निर्भर करता है

## आप क्या पा सकते हैं

आप कितना पा सकते हैं, यह इस पर निर्भर है कि आपको कितना किराया देना है आप अधिकतम \$4,000 तक पा सकते हैं, और आपको यह वापस चुकता करना होगा

असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, आप 12 महीनों में केवल एक बार यह भुगतान पा सकते हैं।

अगर किराया बकाया सहायता के लिए आपका आवेदन मंजूर कर लिया जाता है, तो हम प्रायः बकाया किराए का भुगतान आपके मकान मालिक को करते हैं।

## कैसे आवेदन करें

- हमें 0800 559 009 पर कॉल करें
- अगर आपको NZ सुपर या वेटेरन पेंशन मिलती है, तो 0800 552 002 पर कॉल करें
- अगर आपको स्टूडेंट अलाउंस (विद्यार्थी भत्ता) मिलता है या स्टूडेंट लोन (विद्यार्थी ऋण) लिया है, तो StudyLink को 0800 88 99 00 पर कॉल करें।

हम आपकी स्थिति पर बात करेंगे, और आवेदन हेतु आपके लिए एक अप्वाइंटमेंट बुक करेंगे।

## अधिक जानें

[www.workandincome.govt.nz/rentarrears](http://www.workandincome.govt.nz/rentarrears)